

दिनांक	विषय	आम्ही विरुद्ध अन्य से	विशेष विवरण
२१/५	पत्रावली	पत्रावली पत्र। वकील व शिबे के अधिकार रजि वकील वकील रजि २१/५/२०१४ के पत्र वकील	
२२/५/२५		पत्रावली पत्र। प.ओ. सं. १०१/२५ के पत्रावली पत्र के कारण वकील वकील वकील वकील वकील २१/५/२५ के पत्र वकील	उप बण्ड अधिकारी कली (जिला नयपुर)
२३.५.२५		पत्रावली पत्र। प.ओ. सं. १०१/२५ के पत्रावली पत्र के कारण वकील वकील वकील वकील वकील २३.५.२५ के पत्र वकील	
२३/५/२५	पत्रावली	पत्रावली पत्र। वकुलाय उप। वकील वकील पत्र पत्र वकील वकील वकील वकील २३/५/२०१४ के पत्र वकील	उप बण्ड अधिकारी कली (जिला नयपुर)
३०/०६/२५	पत्रावली	पत्रावली पत्र। वकुलाय उपस्थित वास्ते आदेश पत्रावली वकील ०६/०६/२५ को पत्र वकील	उप बण्ड अधिकारी कली (जिला नयपुर)
०६/०६/२५	पत्रावली	पत्रावली पत्र। वकुलाय उपस्थित पत्रावली पत्र आज वास्ते आदेश हेतु नियत है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं का डीकोकन करने एवं पूर्व वकील उभयपक्ष आधिकार पर मनन पश्चात्	

क्र. सं.	विषय का संक्षेप	आवृत्ति	दिनांक
	<p>हम पाने हैं कि ज.पत्र १-२ से सम्बन्धित मूल वादपत्र विभाजन एवं रखाई निषेधाज्ञा का है। वादपत्र आराजी श्रमि खसरा नम्बर ६० रकबा ०.३०४१ है। चाके ग्राम भावसर ईशरवाला प.ह. रामसर पाजागला २२ क्षेत्र फाल्गुनवास तह. बल्सी ठिका जम्हा में वारीगण एवं प्रतिवादी/क्षेत्र स्वयं एवं पूर्वज के नाम होकर प्राधीगण एवं अप्राधीगण रिपोर्टेड खातेदार काश्तकार हैं, जिसका विधिवत विभाजन करवाना चाहते हैं। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अभ्यपन के हक में घेना स्पष्ट ही सुविधा का सन्तुलन :- यदि इस वादपत्र आराजी का विधिवत विभाजन नहीं होने तक अभ्यपन के हक में सुविधा का सन्तुलन घेना प्रति घेना ही अपूर्ण नि धरिः यदि विभाजन से पूर्व अभ्यपन का सम्पूर्ण श्रमि पर हक एवं हिसा घेना स्पष्ट ही अतः प्राधिक पत्र आरखाई निषेधाज्ञा प्राधीगण स्वीकार किया जाता है कि वादपत्र आराजी खसरा</p>		

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>नम्बर 60 रकबा 0.7081 हे० वाके ग्राम आवसर इशरवाला फ.ह. रामसर पालावाला इपर क्षेत्र फाल्यावास्त के सम्बन्ध में प्रकरण में जारी आदेश दिनांक 21/06/2024 को प्रथागत रखते दुर लफैसला दावा के उभयपक्षों के जरिये अर्साई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 06/06/25 को सुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


मुख्य सहायक अधिकारी
कली (जिला नयपुर)